आदेश की क्रमांक एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 1	आदेश पर की गई कार्यवाही

09/05/24

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, साहेबगंज।

आर0एम0आर0 वाद संख्या– 01/2023–24

रेणू देवी

–बनाम–

भरत मंडल वगै0

आवेदिका:– रेणू देवी, पति– स्व0 वेद प्रकाश लाल, सा0– शुक्र बाजार, सकरीगली, थाना– मुफसिल, जिला– साहेबगंज (झारखंड)।

विपक्षीगण:– भरत मंडल, पे0– स्व0 सीताराम मंडल, सा0– सकरीगली नया टीकर, थाना– साहेबगंज (मु0), जिला– साहेबगंज (झारखंड)।

अंतक्षेपक:– पार्वती देवी, पति– स्व0 बॉकेलाल मंडल, सा0– सकरीगली नया टीकर, थाना– साहेबगंज (मु0), जिला– साहेबगंज (झारखंड)।

–: आदेश :–

प्रस्तुत नामांतरण संशोधन (Mutation Revision) वाद आवेदिका रेणू देवी, पति– स्व0 वेद प्रकाश लाल, सा0– शुक्र बाजार, सकरीगली, थाना– साहेबगंज (मु0), जिला– साहेबगंज ने भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, साहेबगंज द्वारा नामांतरण अपील वाद सं0– 06/2018–19 में दिनांक– 03.03.2023 को पारित आदेश से असंतुष्ट होकर संशोधन (Rivision) वाद दायर किया है।

अवलोकनोपरांत वाद को अंगीकृत करते हुए विपक्षी को नोटिस निर्गत की गई एवं भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, साहेबगंज से इस न्यायालय के ज्ञापांक– 331/डी0बी0, दिनांक– 13.06.2023 के द्वारा नामांतरण अपील वाद सं0– 06/2018–19 के मूल अभिलेख की मांग की गई।

नोटिस तामिला प्रतिवेदन प्राप्त। विपक्षी (प्रतिवादी) उपस्थित। लिखित अभिकथन दाखिल। भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, साहेबगंज के पत्रांक– 58/डी0बी0, दिनांक– 05.07.2023 द्वारा मूल अभिलेख प्राप्त।

सुनवाई के क्रम में पार्वती देवी, पति– स्व0 बॉकेलाल मंडल, सा0– सकरीगली नया टीकर, थाना– साहेबगंज (मु0), जिला– साहेबगंज के द्वारा एक आवेदन दाखिल कर उक्त वाद में अंतक्षेपक (Intervener) बनाने हेतु अनुरोध किया गया। आवेदन को स्वीकृत करते हुए अंतक्षेपक बनाकर सुनवाई की गई।

आवेदिका (वादी) के विज्ञ अधिवक्ता का तर्क है कि विपक्षीगण के नाम से मौजा– रामपुर करारा, दाग नं0– 188 के रकवा 04 बीघा जमीन को नामांतरण कराने के अनुमति विज्ञ भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, साहेबगंज के नामांतरण अपील वाद सं0– 06/2018–19 द्वारा दिया गया है। प्रश्नगत भूमि विपक्षीगण के पूर्वजो द्वारा फर्जी विक्रय केवाला सं0– 1473/03.10.1947 के निष्पादित किया गया है। उक्त फर्जी केवाला के

आदेश की क्रमांक एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	को कार्यवा
	आधार पर नामांतरण करने की अनुमति अंचल– अधिकारी, साहेबगंज को दी गई। जबकि आवेदिका के पूर्वजों द्वारा कभी भी उक्त भूमि का विक्रय नहीं किया गया है। विपक्षीगण द्वारा उक्त मनगढंत एवं फर्जी केवाला सं0– 1473, दिनांक– 03.10.1947 को नामांतरण हेतु आवेदन दाखिल किया गया। नोटिस तामिला के पश्चात् आपत्ति दाखिल करने के फलस्वरूप अंचल अधिकारी, साहेबगंज को उक्त दस्तावेज में संदेह होने के कारण नामांतरण को अस्वीकृत कर दिया गया। परन्तु भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, साहेबगंज उस फर्जी केवाला को आधार मानकर अंचल अधिकारी, साहेबगंज को नामांतरण कर सरकारी सिरिस्ता में नाम दर्ज करने का आदेश दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। आगे आवेदिका के विज्ञ अधिवक्ता का कथन है कि अंचल अधिकारी, साहेबगंज के आदेश के विरूद्व विपक्षीगण विज्ञ भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, साहेबगंज के न्यायालय में नामांतरण अपील वाद सं0– 06/2018–19 दायर किये। विज्ञ भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, साहेबगंज फर्जी केवाला सं0– 1473, दिनांक– 03.10.1947 को आधार मानकर बिना जाँच किये आदेश पारित कर दिये, जो चलने लायक नहीं है। आगे उन्होने अपने तर्क में यह भी कहा कि अंचल साहेबगंज अंतर्गत मौजा– रामपुर करारा, जामबंदी नं0– 88, दाग नं0– 188, रकवा 02 बीघा 10 कठ्ठा 02 धूर एवं दाग नं0– 66, रकवा– 01 बीघा 10 कठ्ठा 17 धूर कुल रकवा 04 बीघा 19 धूर भूमि खतियान में आवेदिका के पूर्वज के नाम से दर्ज है, जिसका खतियानी रैयत हजारी लाल थे। जो आवेदिका के दादा ससुर थे। उक्त प्रश्नगत भूमि को आवेदिका के दादा ससुर कभी विक्रय नहीं किये है और ना ही किसी तरह की दस्तावेज बनाकर दिये है। जिसके आधार पर विज्ञ भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, साहेबगंज के द्वारा नामांतरण की स्वीकृति दी जाना उचित नहीं है। जिसे अपास्त (set-aside) किया जाना चाहिए। उनके द्वारा विज्ञ भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, साहेबगंज के नामांतरण अपील वाद सं0– 06/2018–19 में दिनांक– 03.03.2023 को पारित आदेश को अपास्त (set-aside) करने हेतु अनुरोध किया गया है। जवाब में विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा लिखित अभिकथन में उल्लेख किये है कि विज्ञ भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, साहेबगंज नामांतरण अपील वाद सं0– 06/2018–19 में दिनांक– 03.03.2023 को विपक्षी के पक्ष में आदेश पारित किये है, जो सही है। उक्त प्रश्नगत भूमि का असली मालिक विपक्षी है एवं दखल कब्जे में पूर्वजों से है। आगे उन्होने अपनी अभिकथन में यह भी उल्लेख किये है कि निबंधित केवाला सं0– 1473, दिनांक– 03.10.1947 के द्वारा दाताराम टियर खदी कर अपने जीवन काल तक वास्तिविक दखल में थे। उनके मृत्यु के पश्चात् उनके तीन पुत्र सीताराम मंडल, बाकेलाल मंडल एवं नारायण मंडल को वारिस सूत्र से विरासत में मिला। विपक्षी सं0– 01 (प्रतिवादी) भरत मंडल, पिता– स्व0 सीताराम मंडल के पुत्र है। पार्वती देवी (अंतक्षेपक), पति– स्व0 बॉकेलाल मंडल की पत्नी है और नारायण मंडल के निसंतान मृत्यु हो गई। उक्त जमाबंदी रैयत के मृत्यु होने के पश्चात् भरत मंडल एवं पार्वती देवी उपरोक्त भूमि का दखलकार हुए, जो मौजा– रामपुर करारा, जमाबंदी नं0– 88, दाग नं0– 188, रकवा– 04 बीघा भूमि के दखलकार है।	

की क्रं एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 3	आदेश प की गई कार्यवाह

आगे उन्होने अपने कथन में उल्लेख किये है कि प्रतिवादी सं0– 01 भरत मंडल, अंचल अधिकारी, साहेबगंज के समक्ष नामांतरण हेतु आवेदन दाखिल किये। उनके आवेदन के आधार पर अंचल अधिकारी, साहेबगंज ने नामांतरण वाद सं0– 01/2018–19 दर्ज कर विक्रेता (आवेदक) के पूर्वज को नोटिस निर्गत कर आपत्ति आमंत्रित किये। नोटिस के आधार पर विक्रेता के उत्तराधिकारी वेद प्रकाश लाल, अंचल अधिकारी, साहेबगंज के समक्ष लिखित आपत्ति दर्ज कराई थी। लेकिन दूसरे उत्तराधिकारी सुरेश लाल उपस्थित हुए थे और मौखिक रूप से कहा कि इस संबंध में मुझे कुछ नहीं कहना है। मुझे इस वाद से मुक्त कर दिया जाय। आवेदिका के दिवंगत प्रति स्व0 वेद प्रकाश लाल को छोड़कर विक्रेता के कोई भी उत्तराधिकारी द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई। अंचल अधिकारी, साहेबगंज द्वारा स्व0 वेद प्रकाश लाल के आपत्ति के आधार पर नामांतरण वाद को अस्वीकृत कर दिया गया। चूँकि अंचल अधिकारी, साहेबगंज को स्थानीय जाँच कराना चाहिए था परन्तु उनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया।

अंचल अधिकारी, साहेबगंज के नामांतरण वाद सं0– 01/2018–19 में पारित आदेश से असंतुष्ट होकर विपक्षी भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, साहेबगंज के न्यायालय में नामांतरण अपील वाद सं0– 06/2018–19 दाखिल कर अंचल अधिकारी, साहेबगंज के आदेश को चुनौती दी गई। प्रतिवादी उपस्थित हुए और उन्होने अपने लिखित दलिले दाखिल किये और कहा कि यह अपील सुनने लायक नहीं है चूँकि निबंधित केवाला सं0– 1473, दिनांक– 03.10.1947 का बना हुआ है, जो जाली एवं मनगढंत दस्तावेज है और उस आधार पर अपील की अनुमति दिये जाना उचित नहीं है।

आगे उन्होने अपने लिखित अभिकथन के माध्यम से यह भी कहा कि जाली दस्तावेज/केवाला के संबंध में सिर्फ सिविल न्यायालय को ही निर्णय ले सकते है। भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, साहेबगंज द्वारा उक्त दस्तावेज सं0– 1473, दिनांक– 03.10.1947 को सत्यापन हेतु अवर निबंधक, दुमका को अपने पत्रांक– 05/डी0बी, दिनांक– 29.01.2022 के माध्यम से पत्र निर्गत कर केवाला का सत्यापन प्राप्त किया। जिला अवर निबंधक पदाधिकारी, दुमका ने अपने पत्रांक– 74/नि0, दिनांक– 06.05.2022 द्वारा सत्यापन प्रतिवेदन भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, साहेबगंज को समर्पित किया। अंचल अधिकारी, साहेबगंज से भी उक्त जमाबंदी के भूमि के संबंध में स्थल जाँच कराई गई। सत्यापन प्रतिवेदन एवं भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, साहेबगंज द्वारा स्वयं स्थल जाँच के पश्चात् नामांतरण अपील वाद सं0– 06/2018–19 में दिनांक– 03.03.2023 को आदेश पारित किया गया, जो सही है।

उनके द्वारा विज्ञ भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, साहेबगंज के नामांतरण अपील वाद सं0– 06/2018–19 में दिनांक– 03.03.2023 को पारित आदेश को यथावत (Upheld) रखने का अनुरोध किया गया है।

अतएव उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, साहेबगंज से प्राप्त अभिलेख एवं अभिलेख में उपलब्ध दस्तावेज की अवलोकन से प्रतीत होता है कि उक्त संशोधन वाद आवेदिका रेणू देवी, पति– स्व0 वेद प्रकाश लाल के द्वारा भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, साहेबगंज के नामांतरण अपील वाद सं0– 06/2018–19 में पारित आदेश के विरूद्व लाया गया है, जो साहेबगंज अंचल अंतर्गत मौजा– रामपुर करारा,

आदेश की क्रमांक एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 4	आदेश पर की गई कार्यवाही

जमाबंदी नं0– 88, दाग नं0– 188, रकवा– 04 बीघा भूमि से संबंधित है।

अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि प्रश्नगत भूमि विपक्षी के पूर्वजों द्वारा निबंधित केवाला सं0– 1473, दिनांक– 03.10.1947 के जरिए खरीद कर दखलकार है। उक्त दस्तावेज के आधार पर भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, साहेबगंज के द्वारा नामांतरण अपील वाद सं0– 06/2018–19 में दिनांक– 03.03.2023 को आदेश पारित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

विज्ञ भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, साहेबगंज के द्वारा नामांतरण अपील वाद सं0– 06/2018–19 के मूल अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता साहेबगंज के द्वारा केवाला सं0– 1473, दिनांक– 03.10.1947 के निष्पादित दस्तावेज को उन्होने अपने पत्रांक– 70/डी0बी0, दिनांक– 24.12.2021 एवं 05/डी0बी, दिनांक– 29.01.2022 के माध्यम से जिला अवर निबंधक, दुमका को पत्र निर्गत कर सत्यापन प्राप्त किया गया है। जिला अवर निबंधक, दुमका के पत्रांक– 74/नी0, दिनांक– 06.05.2022 द्वारा समर्पित सत्यापन प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि जिला अवर निबंधक, दुमका के अभिलेखागार में संधारित मूल अभिलेख से दस्तावेज सं0– 1473 वर्ष 1947 ई0 का केवाला सं0 जिसका पुस्तक सं0– 01 जिल्द सं0– 10, पृष्ट सं0– 04 से 05 जिसकी निष्पादन की तारीख 03.10.1947 ई0 है का मिलान किया जो सही है।

विज्ञ भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, साहेबगंज से प्राप्त अभिलेख से यह भी स्पष्ट होता है कि इनके दखल कब्जे के संबंध में अंचल अधिकारी के पत्रांक– 574/रा0, दिनांक– 12.07.2022 से प्राप्त प्रतिवेदन से यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि विपक्षी भरत मंडल, पिता– स्व0 सीताराम मंडल के दखल कब्जा में है कि भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, साहेबगंज स्वयं स्थल निरीक्षण कर न्यायोचित आदेश पारित किये है, जो खंडित करने योग्य नहीं है।

अतः उपरोक्त तथ्यों पर विचारोपरांत विज्ञ भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, साहेबगंज के द्वारा नामांतरण अपील वाद सं0– 06/2018–19 में दिनांक– 03.03.2023 को पारित आदेश को यथावत (Upheld) रखते हुए आवेदिका के आवेदन को खारिज किया जाता है। अंचल अधिकारी, साहेबगंज को आदेश दिया जाता है कि नामांतरण की वे विधिवत कार्रवाई करेगें। आदेश की प्रति भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, साहेबगंज एवं अंचल अधिकारी, साहेबगंज को भेजें। पारित आदेश से उभय पक्षों को अवगत करावें। वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

09/05/2024

उपायुक्त
साहेबगंज।

09/5/2024

उपायुक्त
साहेबगंज।

Digitally signed by Hemant Sati
Date: 2024.06.24 13:13:06 +05:30
Location: 192.168.29.209